

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती पन्नीबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री गणेशलाल

पत्रावली संख्या : 134/21

जीसीएमएस : 2021/625

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 16.09.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 347 पर दर्ज आराजी नम्बर 1717, 1981 से 1992, 1999, 2001 से 2003, 2005 से 2009, 2011 से 2015, 2017, 2018, 2035, 2048, 2058, 2059, 2188 कित्ता 34 कुल रकबा 5.0344 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1 को पाबंद कराना चाह रही हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि सिर्फ विपक्षी संख्या 1 को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते हैं तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p>	



**—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 347 पर दर्ज आराजी नम्बर 1717, 1981 से 1992, 1999, 2001 से 2003, 2005 से 2009, 2011 से 2015, 2017, 2018, 2035, 2048, 2058, 2059, 2188 कित्ता 34 कुल रकबा 5.0344 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली